



## राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति क्रमांक परीक्षा/2023/139-238 दिनांक 12.01.2024 के संदर्भ में B.Ed. Pt-I, Pt-II, B.A./B.Sc.-B.Ed. Pt-I, Pt-II, III, IV (Regular & Ex-Student), B.Ed. (Ord. 326 D), LL.B. Pt-I, Pt-II, III (Regular, Ex-Student & Due Paper), P.G. Diploma in Labour Law, Taxation, Criminology (Regular & Ex-Student) परीक्षा- 2024 परीक्षा आवेदन फार्म भरने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश

1. बी.एड. अध्यादेश 326-डी एडीशनल परीक्षा में राजस्थान विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त समकक्ष विश्वविद्यालय से बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षार्थी केवल एक ऐसे विषय में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिसका चयन उन्होंने पूर्व में बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षा में नहीं किया हो।
2. अधिनियम-169-H के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित होने/अंकतालिका जारी होने के पश्चात् यदि किसी प्रकार की गलती संज्ञान में आती है, तो परीक्षा परिणाम/ अंकतालिका में आवश्यक संशोधन करने का अधिकार विश्वविद्यालय को है।
3. विश्वविद्यालय परीक्षा-2023 में प्रविष्ट हो चुके छात्रों के परीक्षा फॉर्म पिछली कक्षा के रोल नम्बर से ही भरे जा सकेंगे।
4. विधि पाठ्यक्रमों के लिए माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र/छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है। सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य निश्चित रूप से यह भी सुनिश्चित करलें।
5. महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि LL.B.-I, II एवं III year के (Due Paper/Suppl.) का परीक्षा फार्म भरने वाले छात्रों को परीक्षा फार्म के साथ प्रत्येक प्रयास की अंकतालिकाओं (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण सभी) की छायाप्रतिलिपियाँ तथा डिप्लोमा इन लॉ के परीक्षा आवेदन फार्मों के साथ एल.एल.बी. पार्ट-I, II, III की अंकतालिकाओं की छायाप्रतिलिपियाँ संलग्न करना आवश्यक होगा, जिसके अभाव में संबंधित छात्र का परीक्षा आवेदन फार्म स्वतः ही निरस्त कर दिया जावेगा।
6. B.Ed. Ord. 326-D के सभी परीक्षार्थी फ्रेश परीक्षा फॉर्म भरेंगे। ध्यान रहे एक एडिशनल ऐसे विषय का चयन करें जिसका स्नातक स्तर पर अध्ययन किया हो तथा जिसका उन्होंने बी.एड. उत्तीर्ण परीक्षा में चयन नहीं किया हो। परीक्षार्थी स्नातक/स्नातकोत्तर (जैसा भी लागू हो) एवं बी.एड. की अंकतालिकाओं की छायाप्रतिलिपियाँ संलग्न करें। अध्यादेश 326-डी के तहत परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्र सम्बन्धित विषय एवं उसकी प्रायोगिक परीक्षा में बी.एड. भाग द्वितीय के साथ सम्मिलित होंगे।
7. यह भी आवश्यक रूप से नोट करें कि सम्बन्धित महाविद्यालय एवं परीक्षार्थी ध्यान रखें कि चयनित शैक्षणिक विषयों का एक बार चयन कर ऑनलाईन शुल्क जमा करवाने के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा।
8. बी.एड., बी.ए./बी.एस.सी.-बी.एड. पाठ्यक्रमों एवं विधि प्रथम वर्ष के छात्रों को अपने परीक्षा फार्म की हार्डकापी के साथ 10+2/10+2+3 अथवा अन्य अर्हकारी परीक्षाओं (यथा स्नातकोत्तर अथवा अन्य परीक्षाएँ) की अंकतालिकाएँ तथा आरक्षित वर्ग से संबंधित प्रमाण पत्र आदि की छायाप्रतिलिपियाँ संलग्न करना आवश्यक है। अपरिहार्य दस्तावेज संलग्न न करने की अवस्था में संबंधित छात्र/छात्रा का परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी केवल महाविद्यालय की होगी।
9. बी.ए.-बी.एड. एवं बी.एस.सी.-बी.एड. पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ पार्ट-प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (जो भी लागू हो) की अंकतालिका की छायाप्रतिलिपियाँ तथा बी.एड. भाग द्वितीय के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ बी.एड. पार्ट- प्रथम एवं स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकतालिकाओं की छायाप्रतिलिपियाँ संलग्न करें।
10. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग प्रथम के तीन विषयों तक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/प्रायोगिक) में अनुत्तीर्ण हैं वे उन विषयों की परीक्षा बी.एड. भाग द्वितीय की परीक्षा के साथ प्रविष्ट होंगे।

11. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग प्रथम एवं द्वितीय के तीन विषयों से अधिक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/ प्रायोगिक) विषयों में अनुत्तीर्ण हैं वे बी.एड. भाग प्रथम एवं द्वितीय के प्रायोगिक सहित सभी विषयों में पूर्व छात्र के रूप में प्रविष्ट होंगे। साथ ही जो छात्र आंतरिक मूल्यांकन में अनुपस्थित रहे हैं उन्हें भी आंतरिक एवं सैद्धान्तिक दोनों में प्रविष्ट होना अनिवार्य है।
12. ऐसे छात्र जो बी.एड. भाग द्वितीय के तीन विषयों तक (अनिवार्य/ऐच्छिक विषय/प्रायोगिक) में अनुत्तीर्ण हैं वे उन विषयों की परीक्षा में पूर्व छात्र के रूप में बी.एड. भाग द्वितीय की परीक्षा में प्रविष्ट होंगे।
13. ऐसे छात्र/छात्रा जिनकी गत वर्ष उपस्थिति पूर्ण नहीं थी अर्थात् जिनकी (Short Attendance) थी, वे छात्र/छात्रा परीक्षा आवेदन पत्र भरने के योग्य नहीं है। साथ ही महाविद्यालय के प्राचार्य भी यह सुनिश्चित करें कि ऐसे छात्रों के परीक्षा आवेदन पत्र न तो स्वीकार करें अथवा ना ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।
14. विश्वविद्यालय नियमानुसार बी.एड. छात्र/छात्राएँ जिस सत्र में नियमित रूप से अध्ययनरत रहे हैं उन्हें उसी सत्र में इन्टर्नशिप पूर्ण करना आवश्यक है। अतः ऐसे पूर्व छात्र/छात्राएँ जिन्होंने नियमित छात्र/छात्रा रहते हुए इन्टर्नशिप पूर्ण नहीं की है ऐसे छात्र परीक्षा आवेदन हेतु पात्र नहीं है। अतः महाविद्यालय यह सुनिश्चित करलें की केवल योग्य छात्र/छात्रा ही परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।
15. अध्यादेश-323 के अनुसार बी.एड., बी.ए./बी.एस.सी.-बी.एड. पाठ्यक्रमों के नियमित परीक्षार्थियों के लिये all course work & practicum में 80% तथा School Internship में 90% उपस्थिति अनिवार्य है, इससे कम उपस्थिति वाले परीक्षार्थियों की संबंधित महाविद्यालय से प्राप्त सूची के आधार पर वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य उपरोक्तानुसार कम उपस्थिति (Short Attendance) वाले परीक्षार्थियों की सूची सत्र 2023-24 पूर्ण होने के पश्चात् 50/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर (मय कॉलेज कोड एवं प्रत्येक कक्षा के लिए all course work & practicum एवं school internship के लिए अलग-अलग) निम्न प्रोफार्मा में विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

शपथ पत्र

मैं..... प्राचार्य..... कॉलेज कोड नं..... शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि महाविद्यालय में सभी छात्रों का प्रवेश P.T.E.T.-2023 की सूची के अनुसार ही किया गया है तथा निम्न विद्यार्थियों के अतिरिक्त सभी ने बी.एड. पार्ट प्रथम एवं द्वितीय परीक्षा-2024 के लिए नियमानुसार all course work & practicum में 80% तथा school internship में 90% उपस्थिति पूर्ण कर ली है।

Short Attendance वाले परीक्षार्थियों की सूची

क्र.सं.	परीक्षा फार्म संख्या	छात्र का नाम	पिता का नाम	कुल कार्य दिवस	उपस्थिति दिवस	उपस्थिति का प्रतिशत

प्राचार्य

**16. परीक्षा फार्म जमा करने सम्बन्धी निर्देश:-**

(अ) नियमित परीक्षार्थी अपने परीक्षा फार्म समस्त आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों सहित सम्बन्धित महाविद्यालय जिसके वे नियमित परीक्षार्थी हैं, पर जमा करवायें।

(ब) पूर्व परीक्षार्थी (Ex-Student) परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी मय समस्त शैक्षणिक दस्तावेज एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसी महाविद्यालय में जमा करवायें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे।

**17. परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरें, अन्यथा:-**

नियमित/पूर्व-छात्रों के फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि (जैसे - नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेन्ट नं. इत्यादि) हो तो परीक्षा फॉर्म की दोनों प्रतियों में लाल स्याही से ठीक कर प्रमाण सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करायें। महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को परीक्षा फार्म अग्रेषित करने के पश्चात् संशोधन करवाने पर बी.एड. पाठ्यक्रमों के संदर्भ में रुपये 1000/- प्रति परीक्षा फॉर्म संबंधित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर सुधार संभव होगा।

18. परीक्षार्थी ध्यान रखें कि विश्वविद्यालय में डाक द्वारा प्राप्त परीक्षा फार्मों पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः ऐसे परीक्षा फार्म स्वतः ही निरस्त समझे जाएंगे।

[Signature]

[Signature]

19. विश्वविद्यालय में पूर्व नामांकित छात्रों को स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रति परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
20. परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र की सूचना प्रवेश-पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
21. ऑनलाईन परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात् निर्धारित समय सीमा में परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी संबंधित महाविद्यालय में जमा नहीं कराते हैं एवं तत्पश्चात् संबंधित महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को अग्रेषित नहीं की जाती है, तो उन्हें सिर्फ परीक्षा शुल्क जमा कराने के आधार पर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।
22. सम्बन्धित महाविद्यालय, परीक्षा आवेदन-पत्र जमा करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी के नामांकन हेतु सभी प्रक्रिया पूर्ण करली गई है। जिन पाठ्यक्रमों के परीक्षा आवेदन फार्म विश्वविद्यालय को अग्रेषित किये जा रहे हैं, की सम्पूर्ण पात्रता समस्त परीक्षार्थी पूर्ण करते हैं तथा उनके परीक्षा आवेदन-पत्र की सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण रूप से भरी जा चुकी है। यदि आवेदन-पत्र में किसी प्रकार की प्रविष्टि जैसे - परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर, पूर्व में उत्तीर्ण किए गये प्रश्न-पत्रों के नाम, पूर्व की परीक्षा के अनुक्रमांक अथवा परीक्षार्थी के नामांकन आदि नहीं पाये जाते हैं तो उन्हें परीक्षार्थी द्वारा पूर्ण करवाने के पश्चात् ही परीक्षा आवेदन-पत्र अग्रेषित करें। महाविद्यालय द्वारा यह ध्यान रखा जाना है कि परीक्षा आवेदन-पत्र हार्ड प्रति के साथ मय आवश्यक अंकतालिकाएँ एवं अन्य दस्तावेज आदि संलग्न हो।
23. संबंधित महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि :-
- प्रत्येक छात्र ने अपना परीक्षा आवेदन फार्म पूर्णतः सही एवं स्पष्टतः भरा हो।
  - अधिनियम-168-ए एवं बी के प्रावधानों के अनुसार छात्र एक वर्ष में दो उपाधि की परीक्षा नहीं दे सकते हैं अन्यथा परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएँ निरस्त करने का प्रावधान है।
  - चूंकि school internship उपस्थिति का पार्ट है अतः प्रत्येक बी.एड. छात्र नियमित अध्ययनरत रहते हुए ही अपनी internship समय पर पूर्ण करें। पूर्व छात्र के रूप में **internship पूर्ण नहीं की जा सकती है।**
  - प्रत्येक बी.एड. छात्र Course work एवं school internship में नियमित रहें तथा समय पर internship पूर्ण करें।
  - प्रत्येक आवेदन फार्म के साथ सभी अर्हकारी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की छायाप्रतिलिपि ही संलग्न करें। इन्टरनेट द्वारा डाउनलोड की हुई अंकतालिका मान्य नहीं है।
  - विश्वविद्यालय नियमानुसार प्रवेश की तिथि से तीन वर्ष के भीतर ही बी.एड. पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा सकता है अतः समयावधि पूर्ण होने की स्थिति में किसी भी छात्र का परीक्षा आवेदन फार्म न तो स्वीकार करें तथा ना ही विश्वविद्यालय को अग्रेषित करें।
  - परीक्षा आवेदन पत्रों के साथ संबंधित महाविद्यालय का विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश की प्रतिलिपि संलग्न करना आवश्यक होगा।
  - महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि जिस छात्र/छात्रा का परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जा रहा है वह छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा में बैठने हेतु पूर्णतया योग्य है तथा उसने विश्वविद्यालय नियमानुसार ही विषयों का चयन किया है।
  - महाविद्यालय द्वारा बी.एड. पूर्व छात्र के परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि जिस छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय को अग्रेषित किया जा रहा है उसकी पूर्व के वर्षों में कम उपस्थिति (Short Attendance) नहीं रही हो तथा परीक्षा में अन्तराल (Gape) के दौरान उसके द्वारा परीक्षा फार्म भरा हो तथा उसे विश्वविद्यालय द्वारा अनुक्रमांक जारी किया गया हो अथवा अंकतालिका जारी की गयी हो।
  - महाविद्यालय द्वारा इस विज्ञप्ति में जारी किये गये निर्देशों का पालन ना करने पर विश्वविद्यालय द्वारा इसे गंभीरता से लिया जायेगा तथा महाविद्यालयों पर प्रशासनिक शास्ति लगायी जा सकती है।
24. महाविद्यालयों द्वारा वेबसाईट पर पंजीयन तथा परीक्षा फॉर्म जमा कर अग्रेषित करने की प्रक्रिया :- नियमित एवं पूर्वछात्र ऑनलाईन शुल्क जमा करवाकर दो प्रतियों में परीक्षा

फॉर्म की हार्ड कॉपी मय आवश्यक दस्तावेज के संबंधित महाविद्यालय (जो परीक्षा फॉर्म पर मुद्रित हैं) में जमा करवायेंगे। संबंधित महाविद्यालय परीक्षा फॉर्मों को निम्नानुसार कक्षावार व्यवस्थित कर निर्धारित तिथि तक विश्वविद्यालय को सुपुर्द करेंगे:-

(A) नियमित एवं पूर्वछात्र परीक्षार्थी : -

(अ) ऑनलाईन गेटवे द्वारा जमा शुल्क के साथ प्राप्त परीक्षा फॉर्मों की हार्ड कॉपी को कक्षा एवं श्रेणीवार उसी वेबसाईट के कॉलेज पोर्टल पर प्रतिदिन प्रत्येक छात्र के फॉर्म को Verify बटन पर Verify करें। संबंधित कक्षा के सभी फॉर्म Verify होने के पश्चात् प्रिंट ऑपशन पर जाकर Nominal Roll का प्रिंट लें। तत्पश्चात् Nominal Roll लिस्ट के क्रम के अनुसार ही परीक्षा फॉर्मों को व्यवस्थित कर Nominal Roll लिस्ट के साथ विश्वविद्यालय कमरा नं. 131 में निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय स्वयं जमा करवायें।

(ब) **महाविद्यालय ध्यान रखें**- उक्त प्रक्रिया के अभाव में परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं किये जा सकेंगे।

(B) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय द्वारा बी.ए.-बी.एड., बी.एस.सी.-बी.एड. एवं बी.एड. पाठ्यक्रमों हेतु आवंटित सीटों एवं आवंटित विषयों के अनुसार ही नियमित छात्रों से फार्म भरवाए गए हैं, इस आशय का शपथ-पत्र संबंधित प्राचार्यों द्वारा परीक्षा फार्मों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र के अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

(C) सम्बन्धित महाविद्यालय सुनिश्चित रहें कि पूर्व परीक्षार्थियों (Ex-Student) के परीक्षा फार्म की हार्ड कॉपी उसी महाविद्यालय में जमा करें, जिस महाविद्यालय से वे नियमित परीक्षार्थी के रूप में अनुत्तीर्ण हुये थे।

महाविद्यालयों में नियमित एवं पूर्व परीक्षार्थियों के ऑनलाईन गेटवे द्वारा जमा परीक्षा शुल्क के पश्चात् संकलित परीक्षा फार्मों की हार्ड कॉपी मय दस्तावेज दिशा-निर्देश में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा फार्मों को व्यवस्थित कर अनिवार्य रूप से परीक्षा फार्म निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय द्वारा ही विश्वविद्यालय कमरा नं. 131 में जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् परीक्षा फार्म विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उक्त प्रयोजनार्थ यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

परीक्षा नियंत्रक